

प्रश्न सं. [ क. 2221 ]

अनारक्षित प्रश्न क्रमांक : 2221 श्रीदिलेश जैन बीस

नवीन एवं संशोधित प्राथमिकता परिवार श्रेणीयां

परिशिष्ट

| नवीन एवं संशोधित प्राथमिकता परिवार श्रेणीयां |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                           | अन्त्योदय अन्न योजना के परिवार                                                                                                                                                                           |
| 2.                                           | समस्त बी.पी.एल. कार्डधारक.                                                                                                                                                                               |
| 3.                                           | समस्त ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हैं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य.                                                                         |
| 4.                                           | ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अंतर्गत भूमिहीन श्रेतिहर मजदूर के रूप में पंजीकृत हैं, एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य.                                       |
| 5.                                           | शहरी क्षेत्रों में "साइकिल रिक्षा चालक कल्याण योजना" एवं "हाथठेला चालक कल्याण योजना" में पंजीकृत व्यक्ति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत साइकिल रिक्षा/ हाथठेला चालक एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य. |
| 6.                                           | सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य.                                                                                                                             |
| 7.                                           | अनाथ आश्रम, निराश्रित/विकलांग क्षात्रावासों में निवासरत बच्चे तथा वृद्धाश्रमों में निःशुल्क निवासरत वृद्धजन.                                                                                             |
| 8.                                           | शहरी घेरुलू कामकाजी कर्मी                                                                                                                                                                                |
| 9.                                           | पंजीकृत फेरीवाले (स्ट्रीट वैडर).                                                                                                                                                                         |
| 10.                                          | वनाधिकार पट्टेधारी.                                                                                                                                                                                      |
| 11.                                          | रेलवे में पंजीकृत कुली.                                                                                                                                                                                  |
| 12.                                          | मंडियों में अनुसूचिधारी हम्माल एवं तुलावटी.                                                                                                                                                              |
| 13.                                          | बंद पड़ी मितों में पूर्व नियोजित श्रमिक.                                                                                                                                                                 |
| 14.                                          | बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1972 के अधीन परिचय-पत्र धारी बीड़ी श्रमिक.                                                                                                                             |
| 15.                                          | समस्त भूमिहीन कोटवार.                                                                                                                                                                                    |
| 16.                                          | कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी.                                                                                                                                            |
| 17.                                          | नगरीय निकायों में पंजीकृत केशशिल्पी तथा ग्रामीण क्षेत्र में केशशिल्पी                                                                                                                                    |
| 18.                                          | दिव्यांगजन (40% से अधिक निःशक्तता संबंधी UDID कार्ड धारक)                                                                                                                                                |
| 19.                                          | एचआईवी (एड्स) संक्रमित व्यक्ति (जो स्वेच्छा से इस योजना का लाभ लेना चाहते हों).                                                                                                                          |
| 20.                                          | मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार.                                                                                                                                                    |
| 21.                                          | मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार.                                                                                                                                                  |
| 22.                                          | प्रदेश में मत्स्य पालन करने वाले (मछुआ) सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत परिवार/सदस्य.                                                                                                                 |
| 23.                                          | प्रदेश के पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक/परिचालक.                                                                                                                                                          |
| 24.                                          | विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ वर्ग में सम्मिलित जातियों                                                                                                                                           |
| 25.                                          | कुष्ठरोग पीडित व्यक्ति.                                                                                                                                                                                  |
| 26.                                          | टांसर्जर्ड्स/उभयलिंगी व्यक्ति.                                                                                                                                                                           |
| 27.                                          | मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में सम्मिलित परिवार.                                                                                                                                               |
| 28.                                          | अन्य वंचित वर्ग.                                                                                                                                                                                         |
| 29.                                          | " असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक "                                                                                                                                                                           |

  
 जयपुरकरनाथ जयपुरकरनाथ  
 सचिव, सामाजिक न्याय एवं  
 समाज कल्याण विभाग,  
 अ.प्र. सरकार